223

न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र- /2017 (रेस्टोरेशन) 9022 – II/17

श्री आर.के. मिश्रा ए. द्वारा आज दि. 18/01/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18/1/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदकगण......................

1. सुरेश पुत्र श्री लाल जी जाति चिडार आयु -50 वर्ष,
2. लालाराम पुत्र श्री लाल जी जाति चिडार आयु - 35 वर्ष निवासीगण - ग्राम करैयराय तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

(R.K. Mishra Adv.) 18/01/17

बनाम

रेस्पोंडेंट्स................................

मुकेश पुत्र श्री कुन्नू जाति चमार आयु - 10 वर्ष नाबालिग सरपरस्त पिता कुन्नू पुत्र श्री गब्दू जाति चमार निवासी - ग्राम करैयराय तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

आवेदन पत्र वास्ते निगरानी क्रमांक आर-529-II/2009 को पुनः सुनवाई पर लिए जाने वावत्

आवेदक/निगंरानीकर्तागण की ओर से उक्त आवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है।-

1- यहकि आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.05.2009 को माननीय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 537/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.03.2009 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2016 को अनुपस्थिती में निरस्त की गई है

2- यहकि, उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 02.11.16 नियत थी, उक्त दिनांक को निगरानीकर्तागण एवं उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके क्यों कि निगरानीकर्तागण जिला अशोकनगर के निवासी हैं वह प्रत्येक पेशी पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं क्यों कि अशोक नगर से ग्वालियर की दूरी लगभग 400 किमी है।

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

प्रकरण कमांक २८५१ १०२२-पी/१७ जिला [redacted] भ.श्योप

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव आदि के हस्ता.
19-1-17	राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनॉक 2-11-16 से प्रकरण कमांक 529-दो/09 निगरानी अदम पैरबी में निरस्त हुआ है, जिसके पुर्नस्थापन हेतु यह आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया एंव उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन परिशीलन किया गया। न्याय की धारणा है कि अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार दण्डित नहीं होना चाहिये। अतः इसे ध्यान में रखते हुये प्रकरण कमांक 529-दो/09 निगरानी पुर्नस्थापित किया जाता है। पुर्नस्थापन प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न रहने से इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति प्रकरण कमांक 529-दो/09 निगरानी में संलग्न की जावे। सदस्य	